

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड Bharat Electronics Limited

(भारत सरकार का उद्यम)

(A Government of India Enterprise)

सी आई एन / CIN : L32309KA1954GO1000787

पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय – आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु – 560 045

Registered & Corporate Office : Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru - 560 045

सूचना / NOTICE

प्रति

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सभी सदस्य

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों की 67वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) मंगलवार, दिनांक 28 सितंबर, 2021 को सुबह 10 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम ("ओएवीएम") से निम्नलिखित कारोबार संचालित करने हेतु आयोजित की जाएगी –

सामान्य कारोबार –

- निम्नलिखित पर विचार करने और उसे स्वीकार करने हेतु –
 - 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट; और
 - 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट ।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 2.80 (280%) प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश के भुगतान को संपुष्ट करना और ₹ 1 प्रत्येक पूर्ण चुकता शेयर पर ₹ 1.20 (120%) प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश घोषित करना ।
- श्री विनय कुमार कत्याल (डीआईएन-08281078) जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने पर स्वयं को पुनःनियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना ।

विशेष कारोबार –

- श्री अनुराग बाजपेई (डीआईएन-08948155) की निदेशक के रूप में नियुक्ति
निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु –

To

The Members of Bharat Electronics Limited

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 67th Annual General Meeting (the AGM) of the Members of Bharat Electronics Limited will be held on Tuesday, 28 September 2021, at 10:00 a.m (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- To consider and adopt:
 - the Audited Financial Statement(s) of the Company for the financial year ended 31 March 2021 and the reports of the Board of Directors and the Auditors thereon; and
 - the Audited Consolidated Financial Statement(s) of the Company for the financial year ended 31 March 2021 and the reports of Auditors thereon.
- To confirm the payment of interim dividend of ₹ 2.80 (280%) per equity share and to declare final dividend of ₹ 1.20 (120%) per equity share of ₹ 1 each fully paid up for the financial year 2020-21.
- To appoint a Director in place of **Mr Vinay Kumar Katyal** (DIN: 08281078), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS:

- Appointment of Mr Anurag Bajpai (DIN: 08948155) as Director.**
To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या उसके नहीं, अधिनियमन सहित) के तारतम्य में, श्री अनुराग बाजपेई (डीआईएन-08948155), जिन्हें भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 19/(1)/2010/डी(बीईएल) दिनांक 29 अक्टूबर 2020 द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया और तदुपरांत जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के तारतम्य में इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने हेतु दिनांक 29 अक्टूबर 2020 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिनके संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के तहत एक सदस्य से कंपनी के निदेशक पद के अभ्यर्थी के रूप में श्री अनुराग बाजपेई (डीआईएन-08948155) का प्रस्ताव रखने का अपना आशय व्यक्त करते हुए लिखित में एक सूचना प्राप्त की है, को भारत सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर कंपनी के निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।”

5. लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु –

“संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, जिन्हें उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना है (वर्तमान में उसमें किए गए किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुनःअधिनियमन सहित), के तारतम्य में, 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त मे. मूर्ति एंड कं. एलएलपी, लागत लेखाकार, बेंगलूरु (एलएलपिन- एएबी-1402 और फर्म पंजीकरण सं. 000648) को ₹ 350,000/- (रुपए तीन लाख पचास हजार मात्र) तथा लागू कर के पारिश्रमिक का भुगतान करने हेतु कंपनी की सहमति प्रदान की जाए और एतद्वारा प्रदान की जाती है।”

मंडल के आदेशानुसार
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

बेंगलूरु
1 सितंबर 2021

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Mr. Anurag Bajpai (DIN: 08948155), who was appointed as Part Time Official Director by the Govt. of India, Ministry of Defence vide letter no. 19/(1)/2010/D(BEL) dated 29 October 2020 and subsequently appointed as an Additional Director w.e.f 29 October 2020 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Mr. Anurag Bajpai (DIN: 08948155) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India.”

5. Ratification of Remuneration of the Cost Auditor.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

“RESOLVED THAT pursuant to Section 148 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with relevant Rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), consent of the Company be and is hereby accorded for the payment of remuneration of ₹ 350,000 (Rupees Three Lakh Fifty Thousand only) plus applicable taxes to M/s Murthy & Co. LLP, Cost Accountants, Bengaluru (LLPIN- AAB-1402 & Firm Registration No. 000648) appointed by the Board of Directors of the Company as Cost Auditors to conduct the audit of cost records of the Company for the financial year ending on 31 March 2022.”

By order of the Board
For Bharat Electronics Limited

Bengaluru
1st September 2021

S Sreenivas
Company Secretary

नोट

- कोविड-19 की मौजूदा महामारी को ध्यान में रखते हुए, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई 2020, जिसे सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 और 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड ('सेबी') के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021 (जिन्हें यहाँ इसके बाद संयुक्त रूप से "परिपत्र" कहा गया है) के साथ पढ़ा जाना है, द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम (ओएवीएम) से किसी सामान्य स्थल पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना सामान्य वार्षिक बैठक ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमति दी गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएं एवं प्रकटन की अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") और परिपत्रों में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु - 560045 माना जाएगा।
- चूंकि एजीएम एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा एजीएम के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए इस सूचना के साथ प्रॉक्सी फार्म और उपस्थित पर्ची संलग्न नहीं किया गया है।
- वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम को पूरा करने के उद्देश्य से की जाएगी।
- कार्पोरेट / संस्थागत सदस्य (यानी व्यक्ति / एचयूएफ, एनआरआई आदि को छोड़कर) अपनी ओर से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम में रिमोट ई-मतदान या मतदान के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के हकदार हैं। बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को अधिकृत करने के इच्छुक कार्पोरेट / संस्थागत सदस्यों से अनुरोध है कि वे स्क्रीननाइज़र को मंडल के संकल्प / प्राधिकरण पत्र की प्रमाणित प्रति gthirupal@gmail.com पर भेजें और इसकी प्रति अधिनियम की धारा 113 के तारतम्य में, बैठक में उनकी ओर से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने और उनकी ओर से मतदान करने हेतु अपने प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए कंपनी पंजीयक और अंतरण एजेंट (आरटीए) मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. को उनके ईमेल आईडी irg@integratedindia.in पर भेजें।

NOTE

- In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its General Circular No. 20/2020 dated 5 May 2020, read with General Circulars No. 14/2020 dated 8 April 2020, 17/2020 dated 13 April 2020 & 02/2021 dated 13 January 2021 and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide its circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12 May 2020 & circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15 January 2021 (hereinafter collectively referred to as "the Circulars") permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and the Circulars, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company, Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru - 560045.
- Since this AGM is being held through VC / OAVM pursuant to the Circulars, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM and therefore the Proxy Form and Attendance Slip is not annexed to this Notice.
- Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
- Corporate/ Institutional Members (i.e. other than individuals / HUF, NRI, etc.) are entitled to appoint authorized representatives to attend the AGM through VC/OAVM on their behalf and cast votes through remote e-voting or voting at the AGM. Corporate/ Institutional Members intending to authorize their representatives to participate and vote at the Meeting are requested to send a certified copy of the Board Resolution / Authorization letter to the Scrutinizer through e-mail at gthirupal@gmail.com with a copy marked to Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd. at their e-mail id irg@integratedindia.in, authorizing its representative(s) to attend the AGM through VC/OAVM and cast vote on their behalf, pursuant to section 113 of the Act.

5. विशेष कारोबार के संबंध में अधिनियम की धारा 102(1) के तारतम्य में ऊपर बताए गए अनुसार संबंधित व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है और इस बैठक की सूचना का भाग है। सूचीकरण विनियमों के विनियम 26(4) और 36(3) तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठक (एसएस-2) पर सचिवीय मानक के खंड 1.2.5 के तहत यथा अपेक्षित, एजीएम में नियुक्ति या पुनःनियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के विवरण भी संलग्न हैं जो इस बैठक की सूचना का भाग बनते हैं।
6. इन परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के साथ-साथ इस एजीएम की सूचना ऐसे सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल एड्रेस कंपनी / डिपॉजिटारियों के पास दर्ज हैं। सदस्य नोट करें कि एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com में भी उपलब्ध होंगे। एजीएम/ईजीएम की सूचना सीडीएसएल (एजीएम/ईजीएम के दौरान रिमोट ई-मतदान सुविधा और ई-मतदान प्रणाली प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध कराई गई है।

ऐसे सदस्य जिन्होंने अपने ईमेल एड्रेस दर्ज नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर कंपनी के आरटीए मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. के पास एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 भेजने के प्रयोजनार्थ और ई-मतदान के अनुरोधों के लिए लिंक <https://www.integratedindia.in/emailupdtation.aspx> पर क्लिक करते हुए अस्थायी रूप से दर्ज कराएँ / अद्यतन कर लें। वैकल्पिक रूप से, सदस्य एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 और ई-मतदान के अनुरोध भेजने के लिए, अपने ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्व-अनुप्रमाणित पैन कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में क्लाइंट मास्टर कॉपी और वास्तविक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाण-पत्र की कॉपी प्रदान करते हुए विधिवत् हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति के साथ-साथ अपने अनुरोध कंपनी के आरटीए को उनके ईमेल आईडी irg@integratedindia.in पर भेज सकते हैं।
7. कंपनी की सदस्यों की पंजी और शेयर अंतरण बहियां 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभांश, यदि एजीएम में घोषित हो, का भुगतान करने के लिए सदस्यों की हकदारिता तय करने के प्रयोजनार्थ **गुरुवार, 16 सितंबर, 2021 से लेकर रविवार, 19 सितंबर, 2021** (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रखी जाएगी।
8. निदेशक मंडल ने ₹ 1 के पूर्ण चुकता शेयर पर ₹ 2.80 (280%) प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है जिसे वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अदा किया गया। जिन सदस्यों ने अपने
5. Relevant Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Act, in respect of Special Business as set out above is annexed hereto and forms part of the Notice of this meeting. Details of Directors seeking appointment or re-appointment at the AGM, as required under Regulation 26(4) and 36(3) of the Listing Regulations and clause 1.2.5 of Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, are also annexed and forms part of the Notice of this meeting.
6. In compliance with the Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2020-21 will also be available on the Company's website www.bel-india.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM/EGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM/EGM) at www.evotingindia.com.

Members who have not registered their e-mail address are requested to temporarily register/ update their e-mail address and mobile number with Company's RTA M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd., by clicking the link: <https://www.integratedindia.in/emailupdtation.aspx> for the purpose of sending Notice of the AGM, Annual Report 2020-21 and e-voting instructions. Alternatively, Members may send their request to Company's RTA at their e-mail id irg@integratedindia.in along with scanned copy of request letter duly signed, providing the e-mail address, mobile number, self-attested PAN copy and client master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending Notice of the AGM, Annual Report 2020-21, and the e-voting instructions.
7. The Company's Register of Members and Share Transfer Books will remain be closed from **Thursday, 16 September, 2021 to Sunday, 19 September, 2021** (both days inclusive) for the purpose of determining entitlement of Members for the payment of dividend for the financial year ended 31 March 2021, if declared at the AGM.
8. The Board of Directors has declared an interim dividend of ₹ 2.80 (280%) per equity share of ₹ 1/- each fully paid-up which was paid for the financial year 2020-21.

लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है या प्राप्त नहीं किया है, वे कालातीत वारंटों को दोबारा विधिमान्य करने या कालातीत वारंटों / डीडी के स्थान पर डीडी प्राप्त करने के लिए कंपनी के पंजीयक और अंतरण एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। निदेशक मंडल ने दिनांक 22 जून, 2021 को हुई अपनी बैठक में कंपनी के प्रति ₹ 1 प्रत्येक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पर ₹ 1.20/- (120%) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। वर्ष 2020-21 का अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित हो, घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऐसे सदस्यों को देय होगा जिनके नाम 15 सितंबर 2021 को सदस्यों की कंपनी पंजी में वास्तविक शेयरों के रूप में दर्शित होंगे। बहरहाल, डीमटीरियल रूप में धारित शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान ऐसे व्यक्तियों को किया जाएगा जिनके नाम डिपोजिटारियों द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार 15 सितंबर 2021 को कारोबारी घंटों की समाप्ति पर हितलाभी स्वामियों के रूप में दर्शित होंगे।

9. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को धारित करने वाले सदस्य नोट करें कि डिपोजिटरी सहभागी (डी.पी.) द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाते के विवरण का उपयोग कंपनी द्वारा लाभांश वारंट मुद्रित करने के लिए किया जाएगा। ऐसे सदस्य जो अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन करना / बदलना चाहते हैं, वे एमआईसीआर कोड सहित बैंक खाते के संपूर्ण विवरण के साथ ऐसे परिवर्तनों के बारे में अपने संबंधित डी.पी. को सूचित कर सकते हैं। वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले सदस्य कंपनी के आरटीए को निरस्त किया गए बैंक के साथ अपने बैंक विवरण भेज सकते हैं। ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन नहीं किए हैं, लाभांश वारंट / डिमांड ड्राफ्ट / बैंक उनके दर्ज पत्तों पर भेजे जाएंगे। लाभांश वारंटों / डीडी की धोखाधड़ी से नकदीकरण करने से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने संबंधित डिपोजिटरी सहभागी (डी.पी.) के पास अपने बैंक खाते के विवरण अद्यतन करा लें।
10. सेबी के आज्ञापक परिपत्र दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के तारतम्य में, शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने वाले सदस्य जिनके लेजर फोलियो स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ अद्यतन नहीं है, को अद्यतन हेतु कंपनी के आरटीए में उसे प्रस्तुत करना होगा। शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे डी.पी. जिनके पास उनके इलेक्ट्रॉनिक खाते रखे गए हैं, को पैन प्रस्तुत करें।
11. 'हरित पहल' का समर्थन करने के लिए, जिन सदस्यों ने अब तक अपने ईमेल एड्रेस को दर्ज नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे उसे अपने डीपी के पास दर्ज करा लें यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित हैं और यदि उनके द्वारा वास्तविक रूप में धारित शेयर किए जाते हैं, तो कंपनी के आरटीए के पास दर्ज कराएँ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, डाक का पता, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन / मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), आदेश, नामांकन, मुख्तारनामा, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा

Members who have not encashed or not received their dividend warrants/DDs may approach Registrar and Transfer Agent of the Company for revalidating the expired warrants/DDs. The Board of Directors, in its Meeting held on 22 June 2021, has recommended a final dividend of ₹ 1.20 (120%) per equity share of ₹ 1/- each fully paid. The Final Dividend for the year 2020-21, if declared at the AGM, will be paid within 30 days from the date of declaration, to those Members whose names appear on the Company's Register of Members as on **15 September, 2021** in respect of physical shares. However, in respect of shares held in dematerialized form, the dividend will be payable to those persons whose names appear as beneficial owners as at the closure of the business hours on **15 September, 2021** as per the details furnished by the depositories.

9. Members holding shares in electronic mode may note that bank account details provided by the Depository Participants (DPs) will be used by the Company for printing on dividend warrants. Members who wish to update/change their bank account details may advise their respective DPs about such change with complete details of bank account including MICR Code. Members holding shares in physical form may send their bank details along with cancelled cheque to Company's RTA. For shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts/ cheques will be sent out to their registered addresses. In order to provide protection against fraudulent encashment of dividend warrants/DDs, shareholders are requested to update their Bank account details with their respective Depository Participants (DPs).
10. Pursuant to SEBI mandate vide its circular dated 20 April 2018, Members holding shares in physical mode whose ledger folios have not been updated with Permanent Account Number (PAN) are required to submit the same to Company's RTA, for updation. Members holding shares in electronic form are requested to submit the PAN to DPs with whom they are maintaining their electronic accounts.
11. To support the 'Green Initiative', Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register the same with their DPs in case the shares are held by them in electronic form and with Company's RTA in case the shares are held by them in physical form.

Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/ mobile numbers, Permanent

का विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड आदि से संबंधित परिवर्तन, यदि कोई हो, की सूचना अपने संबंधित डी.पी. को, यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित किए हों, और कंपनी के आरटीए मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि., 30, रमणा रेसीडेन्सी, भूतल, 4था क्रॉस, सम्पिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु - 560003, यदि शेयर वास्तविक रूप में धारित किए हों, को दें।

12. सदस्यों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि यदि लाभांश का नकदीकरण कंपनी के अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख से निरंतर 7 वर्षों की अवधि तक नहीं किया जाता है तो ऐसे लाभांश निवेशक शिक्षा व सुरक्षा निधि ('आईईपीएफ') को अंतरित किए जाएंगे। ऐसे दावा न किए गए लाभांश से संबंधित शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते को अंतरित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर कंपनी से अपने लाभांश का दावा करें। जिन सदस्यों के दावा न किए गए लाभांश / शेयर आईईपीएफ को अंतरित किया गया है, www.iepf.gov.in पर उपलब्ध फार्म सं. आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को आवेदन करते हुए उसका दावा कर सकते हैं।

वर्ष 2013-14 का दावा न किया गया / अदत्त अंतिम लाभांश तथा वर्ष 2014-15 का अंतरिम लाभांश वर्ष 2021-22 के दौरान आईईपीएफ को अंतरित किया जाना है। कंपनी ने यथा 31 मार्च, 2021 को कंपनी के पास मौजूद अदत्त और दावा न की गई राशियों के विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर अपलोड कर दिया है। अंतरित शेयरों के विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in में अपलोड किए गए हैं। दावा किए जाने वाले लाभांश का दावा करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव के साथ पत्राचार करें।

13. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 (यथा संशोधित), के विनियम 40(1) के तारतम्य में, वास्तविक रूप में प्रतिभूतियों का अंतरण करने के अनुरोध पर कंपनी द्वारा तब तक कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक प्रतिभूतियों के पारेषण या अंतरण के मामलों को छोड़कर प्रतिभूतियाँ डिपोजिटरी के पास डीमटीरियलीकृत रूप में धारित की जाती है इसलिए सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे वास्तविक रूप से धारित प्रतिभूतियों का डीमैट करा लें।
14. वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों द्वारा प्राप्त लाभांश आय कर-योग्य होगी और कंपनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को अदा किए गए लाभांश से स्रोत पर कर (टी.डी.एस.) की कटौती करनी होगी। विभिन्न वर्गों की निर्धारित दरों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधन देखें। कंपनी को उचित टीडीएस तय

Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., to their respective DPs, in case the shares are held by them in electronic form and to the Company's RTA M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd., 30, Ramana Residency, Ground Floor, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru - 560003, in case the shares are held by them in physical form.

12. Members are requested to note that, dividends if not encashed for a consecutive period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account of the Company, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ('IEPF'). The shares in respect of such unclaimed dividends are also liable to be transferred to the demat account of the IEPF Authority. In view of this, Members are requested to claim their dividends from the Company, within the stipulated timeline. The Members, whose unclaimed dividends/ shares have been transferred to IEPF, may claim the same by making an application to the IEPF Authority in Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in.

The unclaimed/ unpaid final dividend for the year 2013-14 and interim dividend for the year 2014-15 are due for transfer to IEPF during 2021-22. The Company has uploaded the details of unpaid and unclaimed amounts lying with the Company as on 31 March 2021 on the website of the Company www.bel-india.in. Details of shares transferred have been uploaded on the website of the Company www.bel-india.in. Members wishing to claim dividends that remain unclaimed are requested to correspond with the Registrar and Share Transfer Agents or the Company Secretary, at the Company's Registered Office.

13. Members are informed that pursuant to Reg.40(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended), request for effecting transfer of securities in physical form shall not be processed by the Company unless the securities are held in dematerialized form with a Depository, except in case of transmission or transposition of securities. Hence the Members are requested to dematerialize their physical holding.
14. Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1 April 2020 and the Company is required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the Members are requested to refer to

करने / कर दर लागू करना रोक रखने में सक्षम बनाने हेतु, सदस्यों से अनुरोध है कि वे 30 सितंबर, 2021 से पहले <https://www.integratedindia.in/ExemptionFormSubmission.aspx> में कंपनी के आरटीए मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि. में अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करा लें। उसके बाद कर निर्धारण / कटौती के बारे में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी / कंपनी के आरटीए (यदि शेयर वास्तविक रूप में धारित करते हों) और डिपॉजिटरी (यदि शेयर डीमैट माध्यम में धारित किए हों) में अपने पैन को अद्यतन करा लें।

15. जो सदस्य एजीएम में प्रस्तुत किए जाने वाले खातों या किसी अन्य मामले के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे secretary@bel.co.in पर ईमेल द्वारा एजीएम की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी को इस बारे में लिखें। इस पर कंपनी द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा।
16. ऐसे सदस्य जो शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करते हैं, कंपनी (शेयर पूंजी एवं ऋणपत्र) नियम, 2014 में वर्णित अनुसार फार्म एसएच-13 में किसी भी ऐसे व्यक्ति को नामित करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के परिप्रेक्ष्य में नामांकन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें कंपनी में उनके शेयर उक्त फार्म में बताई गई घटना के घटित होने पर प्राप्त होते हैं। वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले व्यक्ति कंपनी के आरटीए को फार्म एसएच-13 दो प्रतियों में भेजें। यदि शेयर डीमटीरियलीकृत रूप में धारित किए जाते हैं तो संबंधित डीपी में नामांकन दर्ज कराए जाएं।
17. कंपनी ने 67वीं एजीएम के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (भारत) लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है। सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने या अपनी सुरक्षित लॉगिन विवरण का उपयोग करते हुए <https://www.evotingindia.com> की ई-मतदान वेबसाइट पर लॉग इन कर एजीएम के लाइव वेबकास्ट को देख सकेंगे।
18. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश –
 - क. बैठक में शामिल होने की प्रक्रिया रिमोट ई-मतदान के लिए नीचे उल्लिखित अनुदेशों की ही तरह है।
 - ख. बैठक में शामिल होने के लिए वीसी / ओएवीएम का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें रिमोट ई-मतदान के लिए नीचे उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा।

the Finance Act, 2020 and amendments thereof. To enable the Company to determine the appropriate TDS/ withholding tax rate applicability, Members are requested to upload the requisite documents with the Company's RTA M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd. at <https://www.integratedindia.in/ExemptionFormSubmission.aspx> on or before **30 September, 2021**. No communication on the tax determination / deduction shall be entertained thereafter. The shareholders are requested to update their PAN with the Company / Company's RTA (in case of shares held in physical mode) and depositories (in case of shares held in demat mode).

15. Members seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Company at least 7 days before that date of AGM through e-mail at secretary@bel.co.in. The same will be suitably replied by the Company.
16. Members, holding shares in physical form, may avail the facility of nomination in terms of Section 72 of the Companies Act, 2013 by nominating in the Form-SH 13 as prescribed in the Companies (Share Capital & Debentures) Rule, 2014, any person to whom their shares in the Company shall vest on occurrence of event stated in the Form. Persons holding shares in physical form may send Form No. SH-13 in duplicate to RTA of the Company. In case of shares held in dematerialized form, the nomination has to be lodged with the respective DPs.
17. The Company has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL), to provide Video Conferencing facility for the 67th AGM of the Company. Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM or view the live webcast of the AGM by logging on the e-voting website of <https://www.evotingindia.com> using their secure login credentials.
18. **Instructions for the Members for attending the AGM through VC/OAVM:**
 - a. The procedure for attending meeting is same as the instructions mentioned below for remote e-voting.
 - b. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned below for remote e-voting.

- ग. शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप / आईपैड से बैठक में शामिल हों। इसके अलावा, शेयरधारकों को अपने लैपटॉप / आईपैड के कैमरा चालू रखना होगा और बैठक के दौरान किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए अच्छी स्पीड का इंटरनेट उपयोग करना होगा।
- घ. कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिए लैपटॉप से जुड़ने वाले सहभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में परिवर्तन के कारण ऑडियो / वीडियो का व्यवधान हो सकता है। इसलिए, सुझाव दिया जाता है कि इस प्रकार की परेशानियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करें।
- ङ. सदस्य इस सूचना में बताई गई प्रक्रिया का पालन करते हुए एजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और एजीएम के दौरान वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल हो सकते हैं।
- च. वीसी / ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ – पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। बृहद् शेयरधारकों (जहाँ शेयरधारकों की शेयरधारिता 2% या उससे अधिक है), प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति और पणधारक संबंध समिति के अध्यक्षों, लेखा परीक्षकों आदि के लिए एजीएम में पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर प्रवेश में कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- छ. जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने विचार रखना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं वे 17 सितंबर, 2021 (सुबह 9.00 बजे आई.एस.टी.) से 24 सितंबर, 2021 (शाम 5 बजे आई.एस.टी.) तक secretary@bel.co.in में कंपनी को ईमेल भेजते हुए स्पीकर के रूप में स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, केवल वे ही एजीएम के दौरान अपने विचार रख सकते हैं / प्रश्न पूछ सकते हैं। कंपनी एजीएम में समय की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए स्पीकरों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। कृपया नोट करें कि सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर तभी दिए जाएंगे जब शेयरधारक निर्दिष्ट तारीख पर कंपनी के शेयर धारित करते हैं।
19. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 जिसे कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20, सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 और एमसीए परियंत्रों के साथ पढ़ा जाना है, के अनुपालन में, कंपनी एजीएम में व्यवहारित
- c. Shareholders are requested to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience. Further shareholders will be required to allow camera of their Laptops / IPads and use internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- d. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- e. The Members can join the AGM through VC/OAVM 30 minutes before the scheduled time of commencement of the AGM and during the AGM by following the procedure mentioned in the Notice.
- f. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 Members on first come first served basis. No restrictions on account of first come first served basis entry into AGM will be applicable to large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairman(s) of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
- g. Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a speaker by sending e-mail to the Company at secretary@bel.co.in from **17 September, 2021 (09:00 a.m IST) to 24 September, 2021 (05:00 p.m IST)**. Those Members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM. Please note that, Members questions will be answered only if the shareholder continues to hold shares of the Company as on the cut-off date.
19. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as

कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजनार्थ, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान सुकर बनाने के लिए, अधिकृत रिमोट ई-मतदान एजेंसी के रूप में, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ एक करार किया है। रिमोट ई-मतदान का उपयोग करने वाले सदस्यों द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने तथा एजीएम में ई-मतदान की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी। रिमोट ई-मतदान के अनुदेश नीचे दिए गए हैं -

रिमोट ई-मतदान के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश -

- (i) रिमोट ई-मतदान की अवधि **शुक्रवार, 24 सितंबर 2021 को सुबह 9 बजे आईएसटी से शुरू होगी और सोमवार, 27 सितंबर 2021 को शाम 5.00 बजे आईएसटी को समाप्त होगी।** इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य जो **21 सितंबर, 2021** की निर्दिष्ट तारीख को शेयरों को वास्तविक रूप में या डीमटीरियलीकृत रूप में धारित करते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। रिमोट ई-मतदान मॉड्यूल उसके बाद सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- (ii) जिन सदस्यों ने बैठक की तारीख से पहले ही मतदान किया है, वे एजीएम में मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
- (iii) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-मतदान सुविधा के बारे में सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 ("सेबी परिपत्र") के परिप्रेक्ष्य में, डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों को डिपोजिटरी तथा डिपोजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए उनके डीमैट खाते द्वारा मतदान करने की अनुमति होगी। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-मतदान सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अद्यतन कर लें।
- क) डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए ई-मतदान और एजीएम में शामिल होने की लॉगिन विधि नीचे दी गई है -

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन की विधि
सीडीएसएल में डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	1) जिन प्रयोक्ताओं ने सीडीएसएल की ईजी / ईज़िस्ट सुविधा का विकल्प लिया है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। इसका विकल्प बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-मतदान पेज पर पहुंचने के लिए उपलब्ध होगा। ईजी / ईज़िस्ट में लॉगिन करने के लिए यूजर का यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login है या वे www.cdslindia.com में जाकर लॉगिन आइकन पर क्लिक कर न्यू सिस्टम माईईजी चुन सकते हैं।

amended), and the MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-Voting agency. The facility of casting votes by Members using remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by CDSL. The instructions for remote e-voting are as under:

Instructions for Members for Remote E-voting:

- (i) The remote e-voting period begins on **Friday, the 24 September 2021 at 09:00 a.m IST** and ends on **Monday, the 27 September, 2021 at 05:00 p.m IST**. During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date **21 September, 2021** may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
 - (ii) Members who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the AGM.
 - (iii) In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 ("SEBI Circular") on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.
- A. Login method for e-Voting and joining the AGM for Individual shareholders holding securities in Demat mode is given below:

Type of Shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or visit www.cdslindia.com and click on Login icon and select New System Myeasi.

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन की विधि
	<p>2) ईज़ी / ईज़िएस्ट में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, यूज़र पात्र कंपनियों के लिए ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे जहां कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ई-मतदान प्रगति में होगा। ई-मतदान विकल्प पर क्लिक करने पर, यूज़र रिमोट ई-मतदान के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता का ई-मतदान पेज देख सकते हैं या बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक और मतदान में शामिल हो सकते हैं। तदनुसार, ई-मतदान के सभी सेवा प्रदाताओं जैसे सीडीएसएल/एनएसडीएल/कार्वी/लिंकिनटाइम के सिस्टम में एक्सेस प्राप्त करने के लिए भी दिए गए हैं ताकि यूज़र ई-मतदान सेवा प्रदान करने वाली वेबसाइट में सीधे जा सकें।</p> <p>3) यदि यूज़र ईज़ी / ईज़िएस्ट विकल्प में पंजीकृत नहीं हैं तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration में उपलब्ध है।</p> <p>4) वैकल्पिक रूप से, यूज़र www.cdslindia.com के होम पेज में उपलब्ध ई-मतदान लिंक से या https://evoting.cdslindia.com/Evoting/EvotingLogin पर क्लिक करते हुए डीमैट खाता नंबर और पैन नंबर प्रदान करते हुए ई-मतदान पेज में सीधे जा सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओ.टी.पी. भेजते हुए यूज़र का प्रमाणीकरण करेगा। प्रमाणीकरण सफल होने पर यूज़र ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे जहां ई-मतदान प्रगति में है और साथ ही ई-मतदान सेवा के सभी प्रदाताओं के सिस्टम में सीधे एक्सेस प्राप्त कर सकेंगे।</p>
एनएसडीएल में डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	<p>1) यदि आप एनएसडीएल की आइडियास सुविधा में पहले से पंजीकृत हैं तो एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाइट में जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यू.आर.एल. https://eservices.nsdl.com टाइप कर वेब ब्राउज़र खोलें। ई-सर्विसेस का होम पेज लांच होने के बाद, 'IDeAS' खंड के तहत उपलब्ध "Login" में "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें। एक नया स्क्रीन खुलेगा। आपको यहां अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। प्रमाणीकरण सफल होने</p>

Type of Shareholders	Login Method
	<p>2) After successful login to the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers i.e. CDSL/NSDL/KARVY/LINKINTIME, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.</p> <p>3) If the user is not registered for Easi/ Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</p> <p>4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page or click on https://evoting.cdslindia.com/Evoting/EvotingLogin The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.</p>
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	<p>1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open.</p>

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन की विधि	Type of Shareholders	Login Method
	<p>पर आप ई-मतदान सेवाएं देख सकते हैं। ई-मतदान सेवा के तहत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें, आप ई-मतदान पेज देख सकेंगे। कंपनी के नाम पर या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें, आपको रिमोट ई-मतदान अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने अथवा बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता को निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>2) यदि यूज़र आइडियास ई-सेवा में पंजीकृत नहीं है तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकरण करने का विकल्प उपलब्ध है। "Register Online for IDeAS" पोर्टल चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।</p> <p>3) एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट देखें। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर यू.आर.एल. https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप कर वेब ब्राउज़र खोलें। सर्विसेस का होम पेज लांच होने के बाद, 'Shareholder/Member' में उपलब्ध "Login" आइकन पर क्लिक करें। एक नया स्क्रीन खुलेगा। आपको स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार अपना यूज़र आईडी (यानी एनएसडीएल में आपका सोलह डिजिट का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। प्रमाणीकरण सफल होने पर आपको एनएसडीएल डिपॉज़िटरी की साइट पर निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-मतदान पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम पर या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें, आपको रिमोट ई-मतदान अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने अथवा बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता को निर्देशित किया जाएगा।</p>		<p>You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p> <p>2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS" Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p>

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन की विधि
अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा लॉगिन करने वाले शेयरधारक (जो डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करते हैं)	आप ई-मतदान सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा अपने डीमैट खाते के लॉगिन विवरण का उपयोग करते हुए भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन सफल होने पर, आप ई-मतदान का विकल्प देख सकेंगे। ई-मतदान के विकल्प पर क्लिक करने पर आपको प्रमाणीकरण सफल होने के बाद एनएसडीएल / सीडीएसएल डिपॉजिटरी की साइट को निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-मतदान देख सकते हैं। कंपनी के नाम पर या ई-मतदान सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें, आपको रिमोट ई-मतदान अवधि के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने अथवा बैठक के दौरान मतदान करने के लिए ई-मतदान सेवा प्रदाता को निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट - सदस्य जो यूजर आईडी / पासवर्ड दोबारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ऊपर उल्लिखित वेबसाइट में उपलब्ध Forget User ID और Forget Password विकल्प का उपयोग करें।

ख) वास्तविक शेयरधारकों तथा ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर शेयरधारक जो डीमैट के रूप में धारित करते हैं, के लिए ई-मतदान और एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन करने की विधि।

- i) शेयरधारकों को ई-मतदान की वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा।
- ii) शेयरधारक मॉड्यूल में क्लिक करें।
- iii) अब अपना यूजर आईडी दर्ज करें -
 - क. सीडीएसएल के लिए-16 अंकों का हितलाभी आईडी,
 - ख. एनएसडीएल के लिए - 8 कैरेक्टर का डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का क्लाइंट आईडी,
 - ग. शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने वाले शेयरधारकों को कंपनी के पास दर्ज फोलियो नंबर दर्ज करना होगा।
- iv) इसके बाद प्रदर्शित इमेज सत्यापन को दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
- v) यदि आप शेयरों को डीमैट रूप में रखते हैं और www.evotingindia.com पर आपने लॉग ऑन कर किसी कंपनी के पहले के ई-मतदान पर मतदान किया है तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग करना है।

Type of Shareholders	Login Method
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their Depository Participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

B. Login method for e-Voting and joining the AGM for Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.

- i) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- ii) Click on "Shareholders" module.
- iii) Now enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
- iv) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- v) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

- vi) यदि आप पहली बार इसका उपयोग कर रहे हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें -

पैन	<p>आयकर विभाग द्वारा जारी अपने 10 अंकों का अक्षरांकीय *पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारकों और वास्तविक रूप में शेयरों को धारित करने वाले शेयरधारक, दोनों के लिए)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ऐसे शेयरधारक जिन्होंने कंपनी / डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी / आरटीए द्वारा भेजी गई अनुक्रम संख्या का उपयोग करें या कंपनी / आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी)	<p>लॉगिन करने के लिए अपने डीमैट खाते में या कंपनी के अभिलेखों में दर्ज किए गए अनुसार लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) दर्ज करें।</p> <ul style="list-style-type: none"> • यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी में दर्ज नहीं हैं तो लाभांश बैंक विवरण के स्थान पर सदस्य आईडी / फोलियो नंबर दर्ज करें।

- vii) इन विवरण को उचित ढंग से दर्ज करने के बाद, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें।
- viii) शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने वाले शेयरधारकों को इसके बाद कंपनी का चयन स्क्रीन दिखेगा। बहरहाल, डीमैट रूप में शेयरों को धारित करने वाले शेयरधारकों को अब 'Password Creation' मेन्यू दिखेगा जिसमें उन्हें नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी जिसमें वे मतदान करने के पात्र हैं, के संकल्पों हेतु मतदान करने के लिए डीमैट धारकों द्वारा भी किया जाएगा बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म द्वारा ई-मतदान का विकल्प लेती हो। इस बात की सख्त हिदायत दी जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड के संबंध में पूरी गोपनीयता बरतें।
- ix) शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए, इस विवरणों का उपयोग इस सूचना में शामिल संकल्पों पर ई-मतदान के लिए ही किया जा सकता है।
- x) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें - 210827072 जिस पर आप मतदान करना चाहते हैं।
- xi) मतदान पृष्ठ पर, आपको "RESOLUTION DESCRIPTION" दिखाई देगा और उसी विकल्प के सामने मतदान के लिए "YES/NO" विकल्प होगा। इच्छानुसार हाँ या नहीं के विकल्प का चयन करें। विकल्प हाँ का अर्थ है कि आप संकल्प को स्वीकार करते हैं और विकल्प नहीं का अर्थ है कि आप संकल्प को अस्वीकार करते हैं।

- vi) If you are a first-time user follow the steps given below:

PAN	<p>Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	<p>Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login.</p> <ul style="list-style-type: none"> • If both the details are not recorded with the depository or company, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

- vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- viii) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- ix) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- x) Click on the EVSN for Bharat Electronics Limited: 210827072 on which you choose to vote.
- xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

- xii) यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो "RESOLUTIONS FILE LINK" पर क्लिक करें।
- xiii) आप जिस संकल्प पर मतदान करना चाहते हैं उसका चयन करने के बाद, "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप अपने मतदान की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें, अपने मतदान को बदलने के लिए "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपने मतदान को संशोधित करें।
- xiv) एक बार जब आप संकल्प पर मतदान "CONFIRM" कर देते हैं, तो आपको अपना मतदान संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।
- xv) आप मतदान पृष्ठ पर "Click here to print" विकल्प पर क्लिक कर किए गए मतदान का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- xvi) यदि कोई डीमैट खाता धारक लॉगिन पासवर्ड भूल गया है, तो यूजर आईडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें और Forgot Password पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा बताए गए विवरण दर्ज करें।
- ग) गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों और संरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा –केवल रिमोट मतदान के लिए।
- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (यानी व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और संरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग इन करना होगा और स्वयं को "Corporates" मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।
 - संस्था के स्टैंप और हस्ताक्षर के साथ पंजीकरण प्रारूप की एक स्कैन की गई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल की जानी चाहिए।
 - लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक कंप्लाइंस यूजर बनाया जाना चाहिए। कंप्लाइंस यूजर उस खाते को लिंक करने में सक्षम होंगे जिसके लिए वे मतदान देना चाहते हैं।
 - लॉगिन में जुड़े खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जानी चाहिए और उन खातों को अनुमोदन प्राप्त करने पर अपना मतदान दे सकेंगे।
 - मंडल के संकल्प और मुख्तारनामे (पीओए) की स्कैन की गई प्रति, जो उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी की है, यदि कोई हो, तो संवीक्षक को उसका सत्यापन करने के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
- xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- xiii) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- xiv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- xvi) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- C. Additional Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians –For Remote Voting only.
- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

घ) एजीएम के दौरान ई-मतदान करने वाले सदस्यों के लिए अनुदेश-

- क) एजीएम के दिन ई-मतदान की प्रक्रिया रिमोट ई-मतदान के लिए ऊपर बताए गए अनुदेशों के समान है ।
- ख) केवल ऐसे सदस्यों के लिए, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-मतदान के माध्यम से संकल्पों पर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है और जो अन्यथा ऐसे करने से विवर्जित नहीं हैं, एजीएम के दौरान उपलब्ध रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे ।
- ग) यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के दौरान सदस्यों द्वारा कोई मतदान किया गया और ऐसे सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है तो, ऐसे सदस्यों द्वारा किए गए मतदान को अवैध माना जाएगा, क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान करने की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए उपलब्ध है ।
- घ) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे । हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

ड) सीडीएसएल और एनएसडीएल जैसे डिपोजिटरी के माध्यम से लॉगिन करने संबंधी किसी तकनीकी मामलों के लिए डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क का विवरण

लॉगिन का प्रकार	हेल्पडेस्क के विवरण
सीडीएसएल में डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगिन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे helpdesk.evoting@cdslindia.com में अनुरोध भेजते हुए सीडीएसएल के हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022- 23058738 और 22-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल में डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	जिन सदस्यों को लॉगिन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे evoting@nsdl.co.in में अनुरोध भेजते हुए एनएसडीएल के हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टॉल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं।

D. Instructions for Members for e-voting during the AGM:

- a) The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
- b) Only those Members, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM. However, members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM.
- c) If any Votes are cast by the Members through the e-voting available during the AGM and if the same Members have not participated in the meeting through VC/OAVM facility , then the votes cast by such Members shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the Members attending the meeting.
- d) Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

E. Details of helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 22-23058542-43.
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

20. एजीएम में भाग लेने वाले संयुक्त धारक के मामले में, ऐसे सदस्य जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले आते हैं, वे ही मतदान करने के हकदार होंगे।
20. In case of joint holders attending the AGM, the Member whose name appears as the first holder in the order of names as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote.
21. कंपनी के निदेशक मंडल ने ई-मतदान की प्रक्रिया की उचित एवं पारदर्शी ढंग से छानबीन करने के लिए श्री तिरुपाल गोरिगे, एफसीएस 6680, पेशेवर कंपनी सचिव को स्कूटिनाइज़र नियुक्त किया है। स्कूटिनाइज़र एजीएम में मतदान पूरा होने के तुरंत बाद, एजीएम में किए गए मतदान की गणना करेंगे और तदुपरांत रिमोट ई-मतदान के माध्यम से किए गए मतदान को खोलेंगे और एजीएम की समाप्त के बाद अधिकतम 48 घंटों के भीतर, पक्ष या विपक्ष, यदि कोई हो, में डाले गए कुल मतों की समेकित स्कूटिनाइज़र रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष को पेश करेंगे। अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किए गए मतदान के नतीजों की घोषणा करेंगे।
21. The Board of Directors of the Company has appointed Mr Thirupal Gorige, FCS 6680, Practising Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer shall, after the conclusion of e-voting at the AGM, first count the votes cast during the AGM, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and submit, a consolidated Scrutinizer's Report of the total number of votes cast in favor of or against or invalid, if any, not later than 48 hours after the conclusion of the AGM to the Chairman of the Company. The Chairman, or any other person authorized by the Chairman, shall declare the result of the voting forthwith.
- अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा नतीजों की घोषणा करने के तुरंत बाद स्कूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ-साथ इन नतीजों को कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर लगाए जाएंगे और इसकी सूचना बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी जाएगी।
- The result, along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the Company's website, www.bel-india.in and on the website of NSDL immediately after the result is declared by the Chairman or any other person authorised by the Chairman, and the same shall be communicated to the Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited.
22. प्रस्तावित संकल्पों को एजीएम की तारीख में पारित किया गया माना जाएगा, जो इन संकल्पों के पक्ष में मतों की अपेक्षित संख्या प्राप्त करने के अधीन होगा।
22. The resolutions proposed will be deemed to have been passed on the date of the AGM subject to receipt of the requisite number of votes in favour of the resolutions.
23. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर रखा गया है और ऐसी संविदाओं और व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं और जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखा गया है, तथा इस सूचना में संदर्भित अन्य सभी दस्तावेज़ इस सूचना के परिचालन की तारीख से लेकर एजीएम की तारीख यानी 28 सितंबर 2021 तक बिना किसी शुल्क से सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे दस्तावेज़ों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य अपना अनुरोध ई-मेल आईडी secretary@bel.co.in पर भेज सकते हैं।
23. The Register of Directors' and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and the Register of Contracts and Arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 and all other documents referred to in the Notice will be available for inspection by the Members electronically without any fee from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM i.e. 28 September 2021. Members seeking to inspect such documents can send their request at the e-mail ID secretary@bel.co.in
24. एजीएम के दर्ज प्रतिलेख कंपनी द्वारा रखे जाएंगे और बैठक के समाप्त होने के तुरंत बाद कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in के निवेशक खंड में उपलब्ध कराए जाएंगे।
24. The recorded transcript of the AGM, shall be maintained by the Company and also be made available on the website of the Company www.bel-india.in in the Investor Section, at the earliest soon after the conclusion of the Meeting.
25. चूंकि एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए इस सूचना के साथ रूट मैप संलग्न नहीं किया गया है।
25. Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed to this Notice.

सूचना का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत व्याख्यात्मक विवरण।

मद सं. 4 के संबंध में -

सरकार ने अपने पत्र दिनांक 29 अक्टूबर 2020 द्वारा श्री अनुराग बाजपेई (डीआईएन: 08948155) को निदेशक मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया है और तदुपरांत उन्हें दिनांक 29 अक्टूबर 2020 से प्रभावी करते हुए इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक अपर निदेशक नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने श्री अनुराग बाजपेई को इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए अपर निदेशक नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी ने श्री अनुराग बाजपेई की नियुक्ति कंपनी के निदेशक के रूप में करने के प्रयोजनार्थ अपना आशय व्यक्त करते हुए रु. 1,00,000/- की जमा राशि के साथ एक सूचना प्राप्त की है।

श्री अनुराग बाजपेई (डीआईएन: 08948155) को छोड़कर कोई भी कंपनी के निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, इस बैठक की सूचना के मद सं. 4 में निर्धारित संकल्प में, आर्थिक या अन्य किसी प्रकार से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल इस संकल्प के लिए सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

मद सं. 5 के संबंध में -

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) जिसे कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक नियम) (नियम) के नियम 14 के 2014 साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा और उनके पारिश्रमिक की भी सिफारिश करेगा। इस नियम में यह भी आवश्यकता बताई गई है कि लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन तदुपरांत सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, बीईएल के निदेशक मंडल ने मेसर्स मूर्ति एंड कं. एलएलपी, लागत लेखाकार, बेंगलूरु (एलएलपिन- एबी-1402 और फर्म पंजीकरण सं. 000648) को इस संकल्प में दर्शित अनुसार कार्यकाल / पारिश्रमिक पर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की लागत लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है। अधिनियम की धारा 148(3) जिसे कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत यथा अपेक्षित, निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक अनुसमर्थन के लिए सदस्यों के समक्ष रखा गया है।

ANNEXURE TO THE NOTICE

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013.

In respect of item No.4:

The Government has vide its letter dated 29th October 2020 appointed Mr. Anurag Bajpai (DIN: 08948155), as Part Time Official Director on the Board of Directors and was subsequently appointed as an Additional Director w.e.f 29th October 2020 to hold office until the date of this Annual General Meeting.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr. Anurag Bajpai, as Additional Director, to hold office upto the date of this Annual General Meeting. As per the requirement of Section 160 of the Companies Act, 2013, the Company has received a Notice in writing along with a deposit of ₹ 1,00,000/- signifying his intention to propose the appointment of Mr. Anurag Bajpai as Director of the company.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Mr. Anurag Bajpai (DIN: 08948155), is in anyway, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item No.4 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

In respect of item No.5:

As per Section 148(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of Companies (Audit and Auditors Rules), 2014 (the Rules) the Board of Directors of the Company shall appoint the Cost Auditor on the recommendation of the Audit Committee, which shall also recommend remuneration for the Cost Auditor. The rule also requires that the remuneration of the Cost Auditor shall be ratified by the Members subsequently.

As recommended by the Audit Committee, BEL Board of Directors appointed M/s Murthy & Co. LLP, Cost Accountants, Bengaluru (LLPIN- AAB-1402 & Firm Registration No. 000648) to conduct cost audit of the Company for the financial year 2021-22 on the terms / remuneration as indicated in the resolution. As required under Section 148(3) of the Act, read with Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the remuneration of the cost auditors, fixed by the Board of Directors, is placed before the members for ratification.

कंपनी के कोई भी निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की सूचना की मद सं. 05 में उल्लिखित संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा, किसी भी तरह से संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

मंडल इस संकल्प के लिए सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) में यथा अपेक्षित, नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के लिए संस्तुत निदेशकों की अतिरिक्त जानकारी

मद सं. 3 के संबंध में -

पुनर्नियुक्ति -

नाम और डीआईएन	श्री विनय कुमार कत्याल (डीआईएन- 08281078).
जन्म तिथि	26 जुलाई, 1963
मंडल में नियुक्ति की तारीख	27 नवंबर, 2018
शैक्षिक योग्यता	बी.टेक (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार)
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	बीईएल के बेंगलूर कॉम्प्लेक्स के निदेशक श्री विनय कुमार कत्याल को उत्पादन, विकास एवं अभियांत्रिकी, विपणन और गुणता जैसे विविध क्षेत्रों में 36 वर्षों से अधिक समय का अनुभव है। आईआईटी-बीएचयू, वाराणसी से बी.टेक. (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार) डिग्री धारक श्री विनय कुमार कत्याल ने जून 1985 में उप अभियंता के रूप में बीईएल में कार्यग्रहण किया था। बीईएल पंचकूला यूनिट में अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान, वे भारतीय थलसेना के लिए अनेक महत्वपूर्ण संचार और एनक्रिप्शन उत्पादों के विकास में शामिल रहे। बीईएल की बेंगलूर यूनिट में सैन्य संचार एसबीयू के अपर महाप्रबंधक के रूप में उन्होंने कमांड इनफार्मेशन एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (सीआईडीएसएस), बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) और फ्यूचर इनफैंट्री सोलजर एज़ ए सिस्टम (एफ-आईएनएसएस) जैसी प्रतिष्ठित केंद्रीय परियोजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री विनय कुमार ने दिसंबर 2014 में बीईएल के उत्पाद विकास एवं नवोन्मेष केंद्र के महाप्रबंधक का कार्य ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने 27 नवंबर 2018 को निदेशक (बेंगलूर कॉम्प्लेक्स) के पद पर नियुक्ति से पहले महाप्रबंधक के रूप में सैन्य संचार एसबीयू का नेतृत्व किया था। उन्हें बीईएल का 'आर एंड डी में प्रमुख योगदान' का पुरस्कार और परियोजना संबंधी अनेक अन्य आर एंड डी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution set out at item no. 05 of the notice of this meeting.

The Board recommends the resolution for the approval of the Members.

Additional information of Directors recommended for appointment/ re-appointment as required Reg. 36(3) of SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

In respect of item No.3:

Re-Appointment:

Name and DIN	Mr. Vinay Kumar Katyal (DIN: 08281078).
Date of Birth	26 July 1963.
Date of first Appointment on the Board	27 November 2018.
Qualification	B.Tech (Electronics & Communication).
Expertise in specific function area	Mr Vinay Kumar Katyal, Director of BEL's Bangalore Complex, has over 36 years of experience in handling diverse portfolios such as Production, Development & Engineering, Marketing and Quality. Mr Vinay Kumar Katyal, B.Tech (Electronics & Communication) from IIT-BHU, Varanasi, joined BEL in June 1985 as Deputy Engineer. During his initial years at BEL's Panchkula Unit, he was involved in the development of many important communication and encryption products for the Indian Army. As Additional General Manager at the Military Communication SBU at BEL's Bangalore Unit, he facilitated development of prestigious Network Centric projects such as Command Information & Decision Support System (CIDSS), Battlefield Management System (BMS) and Future Infantry Soldier as a System (F-INSAS). Mr Vinay Kumar took over as General Manager of BEL's Product Development & Innovation Centre in December 2014. He later steered the Military Communication SBU as GM before being appointed as Director (Bangalore Complex) in 27 November 2018. He is a recipient of BEL's 'Key Contribution to R&D' Award and many other project-related R&D awards.

कंपनी के अन्य निदेशकों और मुख्य प्रबंधक कार्मिकों के साथ संबंध का प्रकटन	कोई नहीं	Disclosure of Relationship with other Directors and Key Managerial Personnel of the Company	Nil.
यथा 01.08.2021 को अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित निदेशक के पद	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल- थालेस सिस्टम लिमिटेड	Directorship held in other Public Limited Companies as on 01.08.2021	Bharat Electronics Limited BEL-Thales Systems Limited
यथा 01.08.2021 को अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	बीईएल- थालेस सिस्टम लिमिटेड - नामांकन व पारिश्रमिक समिति - अध्यक्ष बीईएल- थालेस सिस्टम लिमिटेड - लेखा परीक्षा समिति के सदस्य	Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies as on 01.08.2021	BEL-Thales Systems Limited - Nomination & Remuneration Committee - Chairman BEL-Thales Systems Limited - Audit Committee Member
धारित शेयरों की संख्या	1263 इक्विटी शेयर	No. of Shares held	1263 Equity Shares.
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयोजित 09 बैठकों में से 9 बैठकों में भाग लिया ।	Attendance in the Board meetings held during the financial year 2020-21	Attended 9 meetings out of 9 meetings held during the financial year 2020-21.

नियुक्ति-

नाम और डीआईएन	श्री अनुराग बाजपेई (डीआईएन- 08948155).
जन्म तिथि	13 जुलाई, 1970.
शैक्षिक योग्यता	एम.ए. (अर्थशास्त्र) में स्नातकोत्तर, भारतीय वन सेवा (आईएफएस)
विशिष्ट कार्यशील क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री अनुराग बाजपेई 1994 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं। अर्थशास्त्र, वित्त प्रबंधन और जनसंचार में स्नातकोत्तर, उन्हें वानिकी, पर्यावरण नीति, महिला सशक्तिकरण और ग्लोबल गवर्नेंस में अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोज़र प्राप्त है। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.), रोम की परियोजना पर कार्य किया और नीति आयोजन एवं प्रशासन में अनुभव प्राप्त करते हुए 32 देशों की यात्रा की। श्री अनुराग बाजपेई ने वानिकी स्वीकृतियों में सुधार लाने और भारत की पहली पवन बिजली योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कौशल विकास, शिक्षा, अवसंरचना विकास और महिला सशक्तिकरण में सक्रिय भूमिका निभाई है। इससे पहले उन्होंने सहायक महानिरीक्षक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामला मंत्रालयों में क्रमशः उप सचिव एवं निदेशक पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं।

Appointment:

Name and DIN	Mr. Anurag Bajpai (DIN: 08948155).
Date of Birth	13 July 1970.
Qualification	Post Graduate in MA (Economics), Indian Forest Services (IFS).
Expertise in specific function area	Mr Anurag Bajpai belongs to the 1994 batch of Indian Forest Service. A Post Graduate in Economics, Financial Management and Mass Communication, he has international exposure in forestry, environment policy, energy, women empowerment and global governance. He has worked on a project for the Food and Agriculture Organization (FAO), Rome, and travelled 32 countries, gaining experience in policy planning and administration. Mr Anurag Bajpai was instrumental in bringing reforms in forestry clearance and formulating the first Wind Energy Policy of India. He has played an active role in Skill Development, Education, Infrastructure Development and Women Empowerment. He has served as Asstt. Inspector General of Forest, Dy. Secretary and Director in M/o Environment, Forest & Climate Change, M/o Tribal Affairs and M/o Minority Affairs, respectively, in his previous terms.

	अपने मूल संवर्ग यानी मणिपुर में, उन्होंने वरिष्ठ पदों पर कार्य किया और प्रशासनिक अनुभव अर्जित किया। उन्होंने वन एवं पर्यावरण विभाग तथा कपड़ा, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में कार्य किया। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यग्रहण करने से पहले वे वन विभाग में अपर मुख्य संरक्षक – वन तथा मणिपुर में वाणिज्य व उद्योग विभाग में पारंपरिक कारीगर व शिल्पकारों के आर्थिक सशक्तिकरण मिशन के सी.ई.ओ. थे।		In his parent cadre, i.e. Manipur, he has held senior positions and gained administrative experience. He has served in Forest & Environment Department and Deptt. of Textiles, Commerce and Industries. Before joining the Deptt of Defence Production in MoD, Govt. of India as Joint Secretary, he was Addl. Principal Chief Conservator of Forests in Forest Department and CEO of Mission for Economic Empowerment of Traditional Artisan & Craftsmen (MEETAC) in Deptt. of Commerce and Industries in Manipur.
कंपनी के अन्य निदेशकों और मुख्य प्रबंधक कार्मिकों के साथ संबंध का प्रकटन	कोई नहीं	Disclosure of Relationship with other Directors and Key Managerial Personnel of the Company	Nil.
यथा 01.08.2021 को अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में धारित निदेशक के पद	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	Directorship held in other Public Limited Companies as on 01.08.2021	Mishra Dhatu Nigam Limited
यथा 01.08.2021 को अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता	कोई नहीं	Chairman/ Membership of Committees in other Public Limited Companies as on 01.08.2021	Nil.
धारित शेयरों की संख्या	कोई नहीं	No. of Shares held	Nil.
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित मंडल की बैठक में उपस्थिति	वित्तीय वर्ष 2020-21 में निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित 4 बैठकों में से 1 बैठक में भाग लिया।	Attendance in the Board meetings held during the financial year 2020-21	Attended 1 meetings out of 4 meetings held during his tenure as Director in the financial year 2020-21.

मंडल के आदेशानुसार
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

By order of the Board
For Bharat Electronics Limited

बेंगलूरु
1 सितंबर 2021

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

Bengaluru
1 September 2021

S Sreenivas
Company Secretary